प्रेस विज्ञप्ति
(बिहार पुलिस मुख्यालय)
दिनांक–20.02.2023 (सं0–120)

बेगूसराय जिलान्तर्गत हत्या काण्ड का उद्भेदन

- दिनांक–25.01.2023 को भारत फाइनेन्सियल इन्क्लूडिंग कम्पनी लिमिटेड, बेगूसराय में मेनेजर के पद पर कार्यरत पिन्टू कुमार, पे0–जोगेन्द्र मोदी, सा0–बरडीह, थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया तथा उनसे कलेक्शन का पैसा, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान लूट लिया गया था।
- घायल पिन्टू कुमार को सदर अस्पताल, बेगूसराय ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
- इस सम्बन्ध में नगर थाना काण्ड सं0–64/23 दिनांक–25.01.23, धारा–302/394 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट अंकित कर घटना की गम्भीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया।
- तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के उपरान्त घटना में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित करते हुए उन्हें अवैध आग्नेयास्त्रों तथा लूटे गए सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अपराधकर्मी

1. कुन्दन कुमार नेपाली महतो, सा0–वार्ड नं0–29 थाना–लोहियानगर ओ0पी0 जिला–बेगूसराय।
2. चन्दन कुमार, सा0–वार्ड नं0–01 डीह मटिहानी, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय।
3. शंकर कुमार, सा0–वार्ड नं0–02 भरौला, थाना–बछबाड़ा, जिला–बेगूसराय।
4. सूरज पाठक उर्फ देवा, सा0–उलाव, थाना–सिंघौल ओ0पी0, जिला–बेगूसराय।

बरामदगी

1. देशी पिस्टल –01
2. देशी कट्टा –01
3. जिन्दा कारतूस –13
4. लूटी गयी मोटरसाइकिल –01
5. लूटी गयी बायोमीट्रिक मशीन –01
6. लूटा गया टैब –01
7. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल –01

xxxxxxxxxxxx